


ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
1 152.1	कार्यकारी समिति की 151वीं बैठक दिनांक 21.05.2010 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से 151वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि किये जाने का निर्णय लिया गया।		
2 152.2	कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड सं. एफ-340 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या एफ-340 को नियमितिकरण किये जाने हेतु राज्य सरकार में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-13	
3 152.3	कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड सं. एच-82 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या एच-82 को नियमितिकरण किये जाने हेतु राज्य सरकार में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-13	
4 152.4	कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड सं. डी-212 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या डी-212 को नियमितिकरण किये जाने हेतु राज्य सरकार में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-13	
5 152.5	कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड सं. एच-75 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या एच-75 को नियमितिकरण किये जाने हेतु राज्य सरकार में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-13	
6 152.6	कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड सं. बी-181 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या बी-181 को नियमितिकरण किये जाने हेतु राज्य सरकार में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-13	
7 152.7	कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड सं. डी-344 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या डी-344 को नियमितिकरण किये जाने हेतु राज्य सरकार में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-13	
8 152.8	गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में आवास सं. 597 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में आवास सं. 597 को नियमितिकरण किये जाने हेतु राज्य सरकार में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-8	
9 152.9	गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में आवास सं. 516 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में आवास सं. 516 को नियमितिकरण किये जाने हेतु राज्य सरकार में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-8	
10 152.10	गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में आवास सं. 5 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में आवास सं. 5 को नियमितिकरण किये जाने हेतु राज्य सरकार में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-8	
11 152.11	भूखण्ड सं. सी-215, गिरधारीपुरा की नजराना राशि विलम्ब से जमा होने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से भूखण्ड सं. सी-215, गिरधारीपुरा की नजराना राशि विलम्ब से जमा होने के कारण नियमितिकरण किये जाने हेतु राज्य सरकार में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-7	
12 152.12	भूखण्ड सं. ई-695, लालकोठी योजना के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से भूखण्ड सं. ई-695, लालकोठी योजना के संबंध में ब्याज व पैनल्टी की राशि वसूल कर नियमितिकरण किये जाने हेतु राज्य सरकार में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	अति. निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण)	
13 152.13	सहायक अभियन्ता के 4 सीधी भर्ती कोटा के पदों को पूर्व की भांति पदोन्नति कोटा में तदर्थ पदोन्नति हेतु हस्तान्तरित किये जाने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण स्थगित किया गया है।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
<b>अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTRY AGENDA)</b>				
14 152.14	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित अरविन्द नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना उदय नगर-बी के पुर्नगठित भूखण्ड सं. 8-ए, 8-बी, 15 व 16 क्षेत्रफल 1261.14 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (श्री शिवलाल चौधरी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा द्वारा अनुमोदित अरविन्द नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना उदय नगर-बी के पुर्नगठित भूखण्ड सं. 8-ए, 8-बी, 15 व 16 क्षेत्रफल 1261.14 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	
15 152.15	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा की वैशाली नगर योजना के भूखण्ड संख्या एफ-34 क्षेत्रफल 260.13 वर्गमीटर का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने के संबंध में। (श्री किशन लाल गुप्ता व अन्य)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा की वैशाली नगर योजना के भूखण्ड संख्या एफ-34 क्षेत्रफल 260.13 वर्गमीटर का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	

ए.सं.	विषय	बैठक में लिखित निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट	
16	152.16	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम नौदंड तहसील आमेर के खसरा नं. 902, 903, व 904 किता 3 रकबा 1.81 हैक्ट. भूमि पर खसरा सुपर ईम्पोज करने पर प्राप्त 18080 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (प्रेमसिंह शेखावत)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम नौदंड तहसील आमेर के खसरा नं. 902, 903, व 904 किता 3 रकबा 1.81 हैक्ट. भूमि पर खसरा सुपर ईम्पोज करने पर प्राप्त 18080 वर्गमीटर भूमि में से सड़क सीमा से प्रभावित 652.40 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने तथा प्लान्टेशन कोरीडोर से प्रभावित 3388.40 वर्गमीटर भूमि छोड़ने के पश्चात् शेष 14039.20 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 10000 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	
17	152.17	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम मानपुर टीलावाला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 3, 4/847, 5, 12/807, 13, 14, 17, 8, 10, 11, 12, 15, 16 किता 13 रकबा 7.85 हैक्ट. एवं ग्राम हरगुन की नांगल उर्फ चारणवाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 339, 344, 345, 348, 347, 341, 343 किता 7 रकबा 4.09 हैक्ट. दोनो ग्रामो के कुल किता 20 रकबा 11.94 हैक्ट. में से 2928.00 वर्गमीटर भूमि सड़क में छोड़ने के पश्चात् शेष 116472.00 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण क्षेत्र से संस्थानिक किये जाने के संबंध में। (राज. विद्या केन्द्र जरिये मुखत्यारआम सोनाराम कुमावत)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम मानपुर टीलावाला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 3, 4/847, 5, 12/807, 13, 14, 17, 8, 10, 11, 12, 15, 16 किता 13 रकबा 7.85 हैक्ट. एवं ग्राम हरगुन की नांगल उर्फ चारणवाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 339, 344, 345, 348, 347, 341, 343 किता 7 रकबा 4.09 हैक्ट. दोनो ग्रामो के कुल किता 20 रकबा 11.94 हैक्ट. में से 9109.00 वर्गमीटर भूमि सड़क में छोड़ने के पश्चात् शेष 116472.00 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण क्षेत्र से संस्थानिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 10000 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	
18	152.18	जविप्रा क्षेत्र में स्थित श्री संजीव पारीक पुत्र श्री नाथू लाल पारीक का भूमि आवासीय भूखण्ड सं. बी-1/23, चित्रकुट अजमेर रोड, जयपुर क्षेत्रफल 322.93 वर्गगज (270 व.मी.) का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2011 में दर्शित आवासीय से व्यावसायिक (रिटेल कॉमर्शियल एवं जनरल बिजनेस) भू-उपयोग उपान्तरण के संबंध में। (श्री संजीव पारीक)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा क्षेत्र में स्थित श्री संजीव पारीक पुत्र श्री नाथू लाल पारीक का भूमि आवासीय भूखण्ड सं. बी-1/23, चित्रकुट अजमेर रोड, जयपुर क्षेत्रफल 322.93 वर्गगज (270 व.मी.) का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2011 में दर्शित आवासीय से व्यावसायिक (रिटेल कॉमर्शियल एवं जनरल बिजनेस) भू-उपयोग उपान्तरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	
19	152.19	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम भाटेड तहसील सांगानेर के ख.नं. 182/4 रकबा 0.04, ख.नं. 189/1 रकबा 0.07, ख.नं. 190/1 रकबा 0.07, ख.नं. 313 रकबा 0.04, ख.नं. 314 रकबा 0.02, ख.नं. 315/3 रकबा 0.53, ख.नं. 316/3 रकबा 0.01, ख.नं. 330/3 रकबा 0.56, ख.नं. 331/2 रकबा 0.33, ख.नं. 49/1 रकबा 0.01, ख.नं. 50 रकबा 0.05, ख.नं. 325/1 रकबा 0.12, ख.नं. 326/1 रकबा 0.03, ख.नं. 331/3 रकबा 0.23, ख.नं. 334/1 रकबा 0.05, ख.नं. 337/2 रकबा 0.27, ख.नं. 338 रकबा 0.23, ख.नं. 339 रकबा 0.32, ख.नं. 340 रकबा 0.32, ख.नं. 341 रकबा 0.04, ख.नं. 315/1 रकबा 0.05, ख.नं. 316/1 रकबा 0.01, ख.नं. 317 रकबा 0.05, ख.नं. 318 रकबा 0.02, ख.नं. 319 रकबा 0.03, ख.नं. 320 रकबा 0.09, ख.नं. 321 रकबा 0.10, ख.नं. 321/1606 रकबा 0.10, ख.नं. 322 रकबा 0.17, ख.नं. 323 रकबा 0.23, ख.नं. 324 रकबा 0.19, ख.नं. 325/2 रकबा 0.09, ख.नं. 326/2 रकबा 0.01, ख.नं. 327 रकबा 0.03, ख.नं. 328 रकबा 0.04, ख.नं. 329 रकबा 0.04, ख.नं. 330/1 रकबा 0.10, ख.नं. 332 रकबा 0.16, ख.नं. 333 रकबा 0.14, ख.नं. 334/2 रकबा 0.02, ख.नं. 178 रकबा 0.06, ख.नं. 179 रकबा 0.04, ख.नं. 180 रकबा 0.29, ख.नं. 181 रकबा 0.30, ख.नं. 182/1 रकबा 0.05, ख.नं. 182/3 रकबा 0.16, ख.नं. 189/2 रकबा 0.19, ख.नं. 190/2 रकबा 0.19, ख.नं. 49/2 रकबा 0.02, ख.नं. 182/2 रकबा 0.05, ख.नं. 315/2 रकबा 0.03, ख.नं. 316/2 रकबा 0.01, ख.नं. 330/2 रकबा 0.04, ख.नं. 331/1 रकबा 0.03, ख.नं. 334/3 रकबा 0.03, ख.नं. 335 रकबा 0.04, ख.नं. 336 रकबा 0.01, ख.नं. 337 रकबा 0.03, कुल किता 58 रकबा 6.58 हैक्टयर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से संस्थानिक (एजुकेशन) किये जाने के संबंध में। (जयपुर एजुकेशन सोसायटी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम भाटेड तहसील सांगानेर के ख.नं. 182/4 रकबा 0.04, ख.नं. 189/1 रकबा 0.07, ख.नं. 190/1 रकबा 0.07, ख.नं. 313 रकबा 0.04, ख.नं. 314 रकबा 0.02, ख.नं. 315/3 रकबा 0.53, ख.नं. 316/3 रकबा 0.01, ख.नं. 330/3 रकबा 0.56, ख.नं. 331/2 रकबा 0.33, ख.नं. 49/1 रकबा 0.01, ख.नं. 50 रकबा 0.05, ख.नं. 325/1 रकबा 0.12, ख.नं. 326/1 रकबा 0.03, ख.नं. 331/3 रकबा 0.23, ख.नं. 334/1 रकबा 0.05, ख.नं. 337/2 रकबा 0.27, ख.नं. 338 रकबा 0.23, ख.नं. 339 रकबा 0.32, ख.नं. 340 रकबा 0.32, ख.नं. 341 रकबा 0.04, ख.नं. 315/1 रकबा 0.05, ख.नं. 316/1 रकबा 0.01, ख.नं. 317 रकबा 0.05, ख.नं. 318 रकबा 0.02, ख.नं. 319 रकबा 0.03, ख.नं. 320 रकबा 0.09, ख.नं. 321 रकबा 0.10, ख.नं. 321/1606 रकबा 0.10, ख.नं. 322 रकबा 0.17, ख.नं. 323 रकबा 0.23, ख.नं. 324 रकबा 0.19, ख.नं. 325/2 रकबा 0.09, ख.नं. 326/2 रकबा 0.01, ख.नं. 327 रकबा 0.03, ख.नं. 328 रकबा 0.04, ख.नं. 329 रकबा 0.04, ख.नं. 330/1 रकबा 0.10, ख.नं. 332 रकबा 0.16, ख.नं. 333 रकबा 0.14, ख.नं. 334/2 रकबा 0.02, ख.नं. 178 रकबा 0.06, ख.नं. 179 रकबा 0.04, ख.नं. 180 रकबा 0.29, ख.नं. 181 रकबा 0.30, ख.नं. 182/1 रकबा 0.05, ख.नं. 182/3 रकबा 0.16, ख.नं. 189/2 रकबा 0.19, ख.नं. 190/2 रकबा 0.19, ख.नं. 49/2 रकबा 0.02, ख.नं. 182/2 रकबा 0.05, ख.नं. 315/2 रकबा 0.03, ख.नं. 316/2 रकबा 0.01, ख.नं. 330/2 रकबा 0.04, ख.नं. 331/1 रकबा 0.03, ख.नं. 334/3 रकबा 0.03, ख.नं. 335 रकबा 0.04, ख.नं. 336 रकबा 0.01, ख.नं. 337 रकबा 0.03, कुल किता 58 रकबा 6.58 हैक्टयर भूमि में से सड़क सीमा में निहित होने वाली 1450 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने के पश्चात् शेष 64350 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से संस्थानिक (एजुकेशन) किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 10000 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	
20	152.20	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित चित्रकुट योजना के भूखण्ड संख्या 8/1 क्षेत्रफल 262.90 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक (रिटेल कॉमर्शियल एवं जनरल बिजनेस) किये जाने के संबंध में। (मै. वैभव एसोसिएट जरिये निदेशक योगेश कूलवाल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा द्वारा अनुमोदित चित्रकुट योजना के भूखण्ड संख्या 8/1 क्षेत्रफल 262.90 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक (रिटेल कॉमर्शियल एवं जनरल बिजनेस) किये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	

ए.सं.	विषय	बैठक में लिखे गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
21 152.21	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम सुन्दरपुरा तहसील आमेर के खसरा नम्बर 324 से 327, 335 से 339, 342 से 349 किता 17 कुल रकबा 2.4916 हेक्टर पर खसरा सुपरईम्पोज करने पर प्राप्त 24134.50 व.मी. भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से संस्थानिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (मै. के.एस.बी. एज्युकेशन एण्ड हेल्थ केयर सोसायटी जरिये अध्यक्ष श्री सुशील कुमार गुप्ता)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम सुन्दरपुरा तहसील आमेर के खसरा नम्बर 324 से 327, 335 से 339, 342 से 349 किता 17 कुल रकबा 2.4916 हेक्टर पर खसरा सुपरईम्पोज करने पर प्राप्त 24532 व.मी. में से 300 फीट प्रस्तावित एक्सप्रेस हाईवे व दक्षिण पूर्वी और स्थित रास्ते को 40 फीट करने पर प्रभावित क्षेत्र 4317.50 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने के पश्चात् शेष 20215 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से संस्थानिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि पूर्व में धारा 25 (3) की विज्ञप्ति में प्लॉटेशन कोरीडोर का अंकन हुआ था जो कि एक्सप्रेस हाईवे पर नियोजित नहीं है। अतः इसे समाप्त माना जावे व पूर्व में लगते हुये रास्ते का भी हवाला नहीं दिया गया था। प्रकरण 10000 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	
22 152.22	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम नदगांव तहसील जयपुर के खसरा नं. 79, 71 व 72 किता 3 कुल क्षेत्रफल 29572.22 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (श्री लालाराम, रामस्वरूप, सीतादेवी, परमेश्वरलाल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम नदगांव तहसील जयपुर के खसरा नं. 79, 71 व 72 किता 3 कुल क्षेत्रफल 29572.22 वर्गगज भूमि में से 100 फीट सड़क से प्रभावित 1066.66 वर्गगज भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 28505.56 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 10000 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	
23 152.23	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम फतेहपुरावास वाटिका तहसील चाकसू के खसरा नं. 1450 से 1453, 1487 से 1507 किता 25 रकबा 3.35 हेक्टर (अर्थात् 33584.54 व.मी.) भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से संस्थानिक किये जाने के संबंध में। (श्री शिवाजी लाल मीणा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम फतेहपुरावास वाटिका तहसील चाकसू के खसरा नं. 1450 से 1453, 1487 से 1507 किता 25 रकबा 3.35 हेक्टर (अर्थात् 33584.54 व.मी.) भूमि में से सड़क सीमा में निहित होने वाली 1533.62 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने के पश्चात् शेष 32050.92 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से संस्थानिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 10000 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	
24 152.24	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम किलकीपुरा उर्फ बिहारीपुरा तहसील चाकसू के खसरा नं. 74 से 77, 78/471, 83/473, 87, 86/475, 88 कुल किता 9 रकबा 3.20 हेक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (श्री जगदीश एवं छोट्टन मीणा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम किलकीपुरा उर्फ बिहारीपुरा तहसील चाकसू के खसरा नं. 74 से 77, 78/471, 83/473, 87, 86/475, 88 कुल किता 9 रकबा 3.20 हेक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 10000 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	
25 152.25	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम ठीकरिया तहसील सांगानेर के खसरा नं. 266, 281, 282, 316 किता 4 रकबा 15580 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (हाईटेक सिटी डवलपर्स प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम ठीकरिया तहसील सांगानेर के खसरा नं. 266, 281, 282, 316 किता 4 रकबा 15580 वर्गमीटर भूमि में से 100 फीट सड़क सीमा में निहित होने वाली 2142.02 व.मी. एवं 60 फीट सड़क सीमा से प्रभावित 456.71 व.मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने एवं 100 फीट सड़क सीमा के दूसरी ओर खसरा नं. 316 की भूमि को पार्क व खुला स्थान रखने की शर्त पर शेष 12981.27 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 10000 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	
26 152.26	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम दौलतपुरा तहसील आमेर के ख.नं. 1047 रकबा 1.41 हेक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ईकोलोजिकल क्षेत्र से वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) किये जाने के संबंध में। (श्री दिनेश कुमार शर्मा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम दौलतपुरा तहसील आमेर के ख.नं. 1047 रकबा 1.41 हेक्टर भूमि में से सड़क सीमा में निहित होने वाली 990 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने तथा प्लॉटेशन कोरीडोर से प्रभावित 675 वर्गमीटर भूमि छोड़ने के पश्चात् शेष 2025 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ईकोलोजिकल क्षेत्र से वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) किये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	
27 152.27	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित नानकपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना शिवराज निकेतन के मूखण्ड सं. 79 व 81 (पुर्नगठित) क्षेत्रफल 1070.50 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (विधाधर पुनिया)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा द्वारा अनुमोदित नानकपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना शिवराज निकेतन के मूखण्ड सं. 79 व 81 (पुर्नगठित) क्षेत्रफल 1070.50 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	
28 152.28	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित छत्रपति गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना राठौड नगर के पुर्नगठित मूखण्ड सं. 89, 90, 100, 101 क्षेत्रफल 1239.24 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (श्री सोहन लाल मधुप कर्वर सरावगी एचयूएफ)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा द्वारा अनुमोदित छत्रपति गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना राठौड नगर के पुर्नगठित मूखण्ड सं. 89, 90, 100, 101 क्षेत्रफल 1239.24 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	
29 152.29	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना राठौड नगर के पुर्नगठित मूखण्ड सं. 14 व 15 क्षेत्रफल 785.72 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) से केवल व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (श्री प्रदीप पांडया, संजय पाण्डया व अन्य)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा द्वारा अनुमोदित छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना राठौड नगर के पुर्नगठित मूखण्ड सं. 14 व 15 क्षेत्रफल 785.72 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) से केवल व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	

ए.सं.	विषय	बैठक में लिए गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट	
30	152.30	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम रामजीपुरावासनायला तहसील जमवारामगढ के खसरा नं. 104/1 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा अर्थात् 5816.70 व.मी. भूमि में से मौके पर उपलब्ध 5803.25 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से संस्थानिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (जगदीश पुत्र श्री रामूलाल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम रामजीपुरावासनायला तहसील जमवारामगढ के खसरा नं. 104/1 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा अर्थात् 5816.70 व.मी. भूमि में से मौके पर उपलब्ध 5803.25 व.मी. भूमि में से सड़क सीमा से प्रभावित 466.25 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने के पश्चात् शेष 5337 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से संस्थानिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	
31	152.31	(1) अजमेर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से 2 किलोमीटर दूर स्थित नटाटा आवासीय योजना सृजित की जानी प्रस्तावित है। जिसमें ग्राम अजबगढ उर्फ हाडीकाबास, तहसील जमवारामगढ के कुल किता 47 कुल रकबा 277.07 बीघा तथा ग्राम नटाटा, तहसील जमवारामगढ के कुल किता 26 कुल रकबा 81.19 बीघा भूमि निजी खातेदारों की आती है। दोनों ग्रामों की कुल निजी खातेदारी की भूमि 359.06 बीघा एवं 195 बीघा भूमि जविप्रा के स्वामित्व की है। कुल 554.06 बीघा भूमि में आवासीय योजना प्रस्तावित है। इस योजना हेतु दोनों ग्रामों की निजी खातेदारी की 359.06 बीघा तथा इस योजना में सड़क निर्माण हेतु ग्राम-कूकस, तहसील-आमेर के कुल किता 28 रकबा 1.03 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की जाने हेतु प्रस्तावित है। इस भूमि को अवाप्त करने की ई.सी. की बैठक 132:43 दिनांक 29.08.2008 को कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त हो गयी थी। उक्त भूमि के अवाप्ति प्रस्ताव राज्य सरकार को पत्रांक 6438 दिनांक 28.08.2008 द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 (1) की अधिसूचना जारी करने हेतु भेजा गया था। राज्य सरकार से पत्र दिनांक 09.09.2008 द्वारा अवाप्ति प्रस्ताव आपत्ति अभ्यावेदनों के साथ वापस लौटा दिये थे एवं निर्देशित किया गया कि आपत्तियों के संदर्भ में प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर भिजवावें। राज्य सरकार को पुनः पत्रांक 2752 दिनांक 17.06.2009 के द्वारा प्रकरण भूमि अवाप्ति अधिनियम धारा 4(1) की अधिसूचना जारी करने हेतु पुनः भिजवाया गया। राज्य सरकार ने पत्र दिनांक 13.07.09 के द्वारा पुनः प्राप्त अभ्यावेदनों के साथ लौटा दिया गया जिसका पुनः परीक्षण कर राज्य सरकार को वापस नहीं भिजवाये गये हैं। आपत्तियों पर जोन स्तर से टिप्पणी कर वास्ते निर्णयार्थ ई.सी. की बैठक हेतु प्रस्तुत है। (2) जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम-अजबगढ उर्फ हाडीकाबास, तहसील-जमवारामगढ के खसरा नम्बर 1 से 12, 12/87, 13 से 16, 17/1मिन, 17/2मिन, 17/3मि, 17/4मिन, 17/5मिन, 17/1, 18 से 26, 26/90, 27 से 37, 38मिन, 38/1, 39, 40 व 17/88 कुल किता 49 कुल रकबा 343 बीघा 11 बिस्वा एवं ग्राम नटाटा, तहसील जमवारामगढ के खसरा नम्बर 162, 163, 164/1, 164/2, 165 से 172, 174 से 178, 179/3, 179/4, 179/5, 179/6, 179/7, 179/861, 179/863, 181, 182 व 399 कुल किता 27 कुल रकबा 208 बीघा 08 बिस्वा इस प्रकार दोनों के कुल किता 76 कुल रकबा 551 बीघा 19 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग इकोलोजिकल एवं औद्योगिक से आवासीय, वाणिज्यिक एवं अन्य नगरीय उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में।	वाद विचार विमर्श यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित योजना की वर्तमान परिस्थितियों में उपयोगिता, आवश्यकता एवं आवासीय योजना हेतु 359 बीघा 06 बिस्वा तथा सड़क निर्माण हेतु 1.03 हैक्टेयर भूमि की भूमि अवाप्ति की औचित्यता के संबंध में जोन द्वारा परीक्षण करके आगामी ई.सी. की बैठक में मय अभिशंका के प्रकरण पुनः प्रस्तुत करें।	उपायुक्त जोन-13	
32	152.32	जयपुर विकास प्राधिकरण की पृथ्वीराज नगर योजना के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राज्य सरकार द्वारा गठित समिति को प्रस्तुत दोनों विकल्पों को कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित कर राज्य सरकार को भेजे जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-8	
33	152.33	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम माचेडा तहसील आमेर के खसरा नं. 919, 921, 922, 923/1148 कुल रकबा 1.49 हैक्टेयर में से 0.4348 हैक्टेयर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण स्पेशलाइज्ड मार्केट से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) किये जाने के संबंध में। (विनायक कन्सट्रक्शन कम्पनी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम माचेडा तहसील आमेर के खसरा नं. 919, 921, 922, 923/1148 कुल रकबा 1.49 हैक्टेयर में से 0.4348 हैक्टेयर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण स्पेशलाइज्ड मार्केट से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) किये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	

क्र.	ए.स.	विषय	बैठक में विनिर्णयित निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
34	152.34	जविष्ठा क्षेत्र में स्थित ग्राम ठिकरिया तहसील सांगानेर के खसरा नं. 234, 242, 244, 245, 464, 233/1115, 248, 250, 252, 253, 254, 247, 251, 255, 256, 239, 249, 246, 241, 243, 461, 235, 236, 237, 238, 240, 241/1083, 242/1084, 461/1082, 463 रकबा 9.04 हेक्टर भूमि पर मू-उपयोग प्राचीन से व्यावसायिक (मल्टी परपज, होटल, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स) किये जाने के संबंध में। (श्रीमती रश्मी जैन)	जविष्ठा क्षेत्र में स्थित ग्राम ठिकरिया तहसील सांगानेर के खसरा नं. 234, 242, 244, 245, 464, 233/1115, 248, 250, 252, 253, 254, 247, 251, 255, 256, 239, 249, 246, 241, 243, 461, 235, 236, 237, 238, 240, 241/1083, 242/1084, 461/1082, 463 रकबा 9.04 हेक्टर भूमि पर मू-उपयोग प्राचीन से व्यावसायिक (मल्टी परपज, होटल, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स) किये जाने के संबंध में। प्रस्तुत एजेन्डा नोट पर विचार विमर्श पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि धारा 25(3) की जारी अधिसूचना के प्रकाशित अखबार में खसरा नं. 250 प्रकाशित होने से रद्द नया था। अतः अधिसूचना का संशोधित प्रकाशन कराया जाकर प्रकरण ई.सी. की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	
35	152.35	जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित आवासीय (फ्लैट्स) क्षेत्रफल 2907.3 वर्गमीटर को निलामी में किये गये बंधान के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण का परीक्षण कर पुनः ई.सी. की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	
36	152.36	जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा संघालित सामुदायिक कौन्सिल की किराया राशि एवं अन्य शर्तों में संशोधन संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा संघालित सामुदायिक कौन्सिल का संशोधित किराया प्रथम दिवस 10,000/-, द्वितीय दिवस 7500/-, तृतीय दिवस 5000/- एवं निरन्तर स्टैबिलिटी की किराया राशि 25000/- रुपये प्रतिदिन एवं प्रतिवर्ष। अपेक्षित 10 प्रतिशत उपरोक्त किराये में वृद्धि का निर्णय लिया गया।	अति आयुक्त (प्रशासन)	
37	152.37	जविष्ठा क्षेत्र में स्थित ग्राम फतेहपुरवाड़ा तहसील चाकसू के खसरा नं. 775, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786 किला 8 रकबा 2.42 हेक्टर भूमि में से सीके पर उपलब्ध 23176.08 वर्गमीटर भूमि का मू-उपयोग प्राचीन से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (श्री किराणी ज्ञान शीमा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम फतेहपुरवाड़ा तहसील चाकसू के खसरा नं. 775, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786 किला 8 रकबा 2.42 हेक्टर भूमि में से सीके पर उपलब्ध 23176.08 वर्गमीटर भूमि में से सड़क सीमा में स्थित होने वाली 1710 वर्गमीटर भूमि जविष्ठा को निरनुत्क समर्पित करने के पश्चात् शेष 21466.08 वर्गमीटर भूमि का मू-उपयोग प्राचीन से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 10000 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण राज्य सार्वीय समिति की स्वीकृति हेतु निरनुत्क होने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	

  
 सदस्य सचिव  
 कार्यकारी समिति  
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.) / जविप्रा / उपा. / जोन-12 / 2010 / डी- 3286  
प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

दिनांक: 16-7-10

क.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	महापौर	जयपुर नगर निगम।
3	ज़िला प्रमुख	ज़िला परिषद, जयपुर।
4	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
5	प्रमुख शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	ज़िला कलक्टर	ज़िला कलैक्ट्रेट, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी / प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (परियोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	अतिरिक्त आयुक्त पूर्व / पश्चिम / प्रशासन / एल.पी.सी / भूमि	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट / बीपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	विशेषाधिकारी (आर.एण्ड.एम) / अति.निदे. (राजस्व एवं स.नि.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
26	उपायुक्त (समन्वय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
27	उपायुक्त जोन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
28	विशेषाधिकारी (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सम्बन्धित अधिकारी आगामी बैठक से पूर्व पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करें।

सचिव,  
जयपुर, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 152वीं बैठक दिनांक 21.06.10 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंथन' में श्री सुधांशु पंत, जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क्र. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1	श्री सुधांशु पंत	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2	श्रीमती गायत्री ए राठौड़	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य सचिव
3	श्री एन. दिवाकर	उप शासन सचिव-द्वितीय	नगरीय विकास विभाग, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
4	श्री एस.के. पचोली	निदेशक (प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5	श्री एच.एस. सचेती	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6	श्री ओ.पी. दोराया	निदेशक (अभियांत्रिकी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
7	श्री डी.सी. जवंडा	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
8	श्री अशोक शर्मा	अति. पुलिस अधीक्षक	पुलिस	सदस्य के प्रतिनिधि
9	श्री डी.आर. चौहान	ACE	पीडब्ल्यूडी	सदस्य के प्रतिनिधि
10	श्री एस.के. माथुर	XEN (CDII)	जेवीवीएनएल	सदस्य के प्रतिनिधि
11	श्री के.जी. गोयल	Commisioner (Revenu)	नगर निगम	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
12	श्री शफी मोहम्मद कुरैशी	अति. आयुक्त (पूर्व)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13	श्रीमती दुर्गा जोशी	अति. आयुक्त (एलपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14	श्रीमती सुची शर्मा	अति. आयुक्त (एलपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15	श्री जाकिर हुसैन	अति. निदेशक (राजस्व एवं स.नि.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16	श्री एस. मित्रा	उपायुक्त जोन-7	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17	श्री हर्देश शर्मा	उपायुक्त जोन-8	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18	श्री बी.एल. गोयल	उपायुक्त जोन-11	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19	श्री पुरुषोत्तम शर्मा	उपायुक्त जोन-12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20	श्री पी.सी. शर्मा	उपायुक्त जोन-13	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21	श्री संजय जैन	उपायुक्त जोन-14	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
22	श्री पी.अरविन्द	एसटीपी (मास्टर प्लान)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

सचिव,  
जयपुर, जयपुर